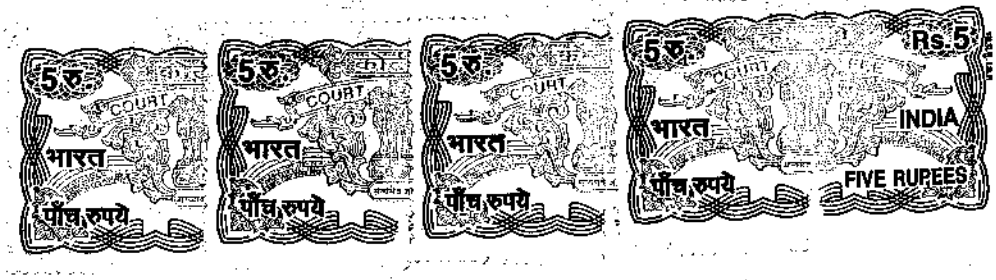

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प भोपाल

----000---- निग - 1051 - PBR 16

१- हेमराज पुत्र श्री रामचरण,

२- दयाराम पुत्र श्री रामचरण

निवासीगण ग्राम गोंदरमऊ,

तहसील हुजूर जिला भोपाल ---- आवेदकगण

विरुद्ध

१- श्रीमति असमत इकबाल पत्नि इकबाल मजीद

निवासी बी-१३२, लालसिंह बोर्ड कालोनी, कोहेफिजा तहसील हुजूर, भोपाल,

२- छगनलाल आ० स्व० रामचरन निवासी ग्राम गोंदरमऊ, तहसील हुजूर, भोपाल--अनावेदकगण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भू-राजस्व संहिता, १९५९ विरुद्ध आदेश तहसीलदार महोदय, तहसील हुजूर, भोपाल के प्रकरण क्रमांक ३।अ-७०।१४-१५ में असमत इकबाल विरुद्ध छगनलाल में पारित आदेश दिनांक २३-२-१६ से असंतुष्ट होकर माननीय महोदय के समक्ष पुनरीक्षण प्रस्तुत कर रहे हैं।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1051–पीबीआर/2016 [हेमराज / अमृत उत्कल] जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28.04.2016	आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 23–2–16 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा आवेदकगण की ओर से व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 के अन्तर्गत आवेदन पत्र इस निष्कर्ष के साथ निरस्त किया गया है कि सीमांकन में अनावेदक कमांक 2 का अनावेदक कमांक 1 की भूमि पर अवैध कब्जा पाया गया है और अनावेदक कमांक 1 द्वारा केवल अनावेदक कमांक 2 के विरूद्ध ही उपचार चाहा गया है, ऐसी स्थिति में आवेदकगण प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार नहीं है । तहसीलदार द्वारा की गई उपरोक्त कार्यवाही प्रथमदृष्टया विधिसंगत होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	